न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 07 / 2024

अनवान : –

1. प्रमोद कुमार पुत्र दुनीचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

2. उमाशंकर पुत्र दुनीचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
3. दुनीचन्द पुत्र लालचन्द जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांक: 08/08/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 119 / 33 की कुल 8.0450 हैक्ट भूमि मे से 1 / 30 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 139 / 34 की 10.993 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 18 / 18 की कुल 2.5050 हैक्ट भूमि मे से 1 / 30 हिस्सा भूमि तथा रोही मौज चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 531 / 499 की कुल 16.1800 हैक्ट भूमि मे से 1 / 15 हिस्सा भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में प्रार्थी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 के पिता का नाम दुलीचन्द दर्ज है जबकि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 के पिता का वास्तविक व सही नाम दुनीचन्द है तथा अप्रार्थी स0 3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे दुनीराम है जबकि वास्तविक व सही नाम दुनीचन्द है।

राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 व 3 का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुलीचन्द के स्थान पर दुनीचन्द व अप्रार्थी स0 3 का नाम दुनीराम के स्थान पर दुनीचन्द दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को काफी मर्तबा कहा कि प्रार्थी का सही नाम तस्लीम कर देवे तो अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे कितु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर होकर जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी स0 1 पेरोकार राज्य ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम दुलीचन्द

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के स्थान पर दुनीचन्द व अप्रार्थी स0 3 का नाम दुनीराम के स्थान पर दुनीचन्द दर्ज करने के आदेश फरमावे जो की प्रार्थी के समस्त दस्तावेजो में दर्ज है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 119/33 की कुल 8.0450 हैक्ट भूमि मे से 1/30 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 139/34 की 10.993 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 18/18 की कुल 2.5050 हैक्ट भूमि मे से 1/30 हिस्सा भूमि तथा रोही मौज चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 531/499 की कुल 16.1800 हैक्ट भूमि मे से 1/15 हिस्सा भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 अपने पिता का नाम दुलीचन्द के स्थान पर दुनीचन्द व अप्रार्थी स0 3 दुनीराम के स्थान पर दुनीचन्द दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड आदि में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 के पिता का नाम दुनीचन्द व अप्रार्थी स0 3 का नाम दुनीचन्द दर्ज है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 119/33 की कुल 8.0450 हैक्ट भूमि मे से 1/30 हिस्सा भूमि व रोही मौजा ढिलकी जाटान तहसील नोहर के खाता स0 139/34 की 10.993 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा 9 जीजीएम तहसील नोहर के खाता स0 18/18 की कुल 2.5050 हैक्ट भूमि मे से 1/30 हिस्सा भूमि तथा रोही मौज चक 11 बारानी तहसील नोहर के खाता स0 531/499 की कुल 16.1800 हैक्ट भूमि मे से 1/15 हिस्सा भूमि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी स0 2 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 ता 3 का नाम **प्रमोद कुमार पुत्र दुलीचन्द के स्थान पर प्रमोद कुमार पुत्र दुनीचन्द व उमाशंकर पुत्र दुलीचन्द के स्थान पर उमाशंकर पुत्र दनीचन्द व दुनीराम के स्थान पर दुनीचन्द का संशोधन किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 के पिता दुलीचन्द व अप्राथी स0 3 दुनीराम के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 के पिता दुलीचन्द व अप्राथी स0 3 दुनीराम के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण का नाम प्रार्थी व अप्रार्थी स0 2 के पिता दुलीचन्द व अप्राथी स0 3 दुनीराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 08/08/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:48 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर